

संख्या: 221515 / XXIV-C-2 / 2024-17(02)2023

प्रेषक,

शैलेश बगोली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्याधीन विश्वविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

2. निदेशक
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: 02 जून, 2024

विषय: उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालयों में पी0एच0डी0 में पंजीकृत शोधार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के मेधावी छात्र/छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शोध/अनुसंधान एवं नवाचार के अवसर प्रदान किये जाने के दृष्टिगत उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालयों में पी0एच0डी0 में पंजीकृत शोधार्थियों में से 100 शोधार्थियों को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन ₹5000/- प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

1. प्रस्तावित योजना हेतु 100 शोधार्थियों का विश्वविद्यालयवार संख्या निम्नवत् रहेगी:-

क्र0सं0	विश्वविद्यालय का नाम	शोधार्थियों की संख्या
1.	कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल	26 ✓
2.	सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा	26
3.	श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, बादशाहीथोल, टिहरी गढ़वाल	26
4.	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	12
5.	दून विश्वविद्यालय, देहरादून	10

Director, RDC/Project
1. action as per
directions. c/s

Reshma
4/1/24

जुलई

2. योजनान्तर्गत 100 शोधार्थियों का चयन UGC/CSIR की नेट (NET) परीक्षा के प्राप्तांक एवं रैंक के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। नेट (NET) परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र के न मिलने पर पंजीकृत शोधार्थी के यूसेट (USET) के प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जायेगा।
 3. राज्य विश्वविद्यालय परिसर/राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों में संस्थागत/नियमित पीएचडी में पंजीकृत शोधार्थी ही उक्त योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।
 4. उक्त छात्रवृत्ति हेतु 100 शोधार्थियों का विश्वविद्यालय स्तर से चयन होने के पश्चात शोधार्थियों की सूची विश्वविद्यालय द्वारा निदेशालय को उपलब्ध कराई जाएगी।
 5. छात्रवृत्ति हेतु चयनित शोधार्थियों को उनके शोधग्रंथ जमा करने की तिथि या अधिकतम 3 वर्ष तक जो पहले हो, तक छात्रवृत्ति अनुमन्य होगी। छात्रवृत्ति हेतु चयनित शोधार्थियों को उसके कार्य की गुणवत्ता एवं मॉनिटरिंग के पश्चात ही अगले वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
 6. किसी भी शोधार्थियों को एक से अधिक छात्रवृत्ति (केंद्र या राज्य सरकार या अन्य समकक्ष योजना) देय नहीं होगी।
 7. शोधार्थी किसी सरकारी/गैरसरकारी सेवा/व्यवसाय में नहीं होगा एवं संस्थागत/नियमित पीएचडी शोधार्थी के रूप में विश्वविद्यालय परिसर या महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज करायेगा।
 8. प्रत्येक शोध का Outcome Evaluation audit सहित Qualitative & Quantitative Evaluation भी किया जायेगा।
 9. प्रत्येक शोध को MPR (Monthly Progress Report) से लिंक किया जायेगा।
- 2- योजनान्तर्गत वित्तीय प्रावधान पूर्व से प्रचलित 'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना' हेतु निर्धारित आय-व्ययक के अनुदान संख्या 11 में राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-800-अन्य व्यय-17-एन0ई0पी0 के अन्तर्गत अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना-42-अन्य विभागीय व्यय मद के अन्तर्गत किया जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-03, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटरजनित ई0 संख्या I/217048/2024 दिनांक 10 जून, 2024 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shallesh

Bagauli

Date: 01-07-2024 11:16:16

(शैलेश बगौली)

सचिव।

संख्या: 221515 / XXIV-C-2 / 2024-17(02)2023, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।

- 2- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त, गढवाल / कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- समस्त कुल सचिव, राज्याधीन विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
- 8- समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 9- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
- 10- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
- 11- वित्त अनु0-3 / नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 12- संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
- 13- अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, 3 एवं 4 उत्तराखण्ड शासन।
- 14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Byomkesh Dubey

Date: 02-07-2024 14:34:03

(ब्योमकेश दूबे)

उप सचिव।

कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल – 263001 (उत्तराखंड)
Kumaun University - Nainital – 263001 (Uttarakhand)
(Research and Development Section)

Ref: Ph.D. Research Fellowship (Govt. Order No. 221515/XXIV-C-2/2024-17(02)2023; dated 02.07.2024)

With reference to the Government Order (vide govt. order No. 221515/XXIV-C-2/2024-17(02)2023; dated 02.07.2024) a research fellowship of Rs. 5,000/- per month is to be provided to 26 Ph.D. registered NET/USET qualified candidates of Kumaun University and its affiliated colleges. Honb'le Vice Chancellor constituted a committee for enacting the rules and regulations as described in Government Order. Based on the Government Order and the committee's recommendation, the RDC has adopted a Modus Operandi (Operating Procedure) with the following key components:

1. A total of 26 research fellowships would be provided to Ph.D. students registered at different campuses and colleges affiliated to the Kumaun University, Nainital.
2. Advertisement: After receiving notification of the fellowship from the Higher Education Department, Uttarakhand Government, the scheme should be widely publicized among admitted and registered Ph.D. scholars. A mail outlining the eligibility criteria and other details should be sent to all affiliated campuses, colleges, and departments so that the relevant information can be gathered from eligible Ph.D. research scholars.
3. Eligibility: The candidate must be registered in Ph.D. course in Kumaun University and should be NET/USET qualified. Further, the candidate should not be getting any other fellowship, scholarship etc and must not be in any government or private job.
4. Screening: As per the instructions from Department of Higher Education, Government of Uttarakhand for the selection of research scholars priority would be given to the applicants with NET qualifications, and then the remaining seats would be filled with USET qualified. Ambiguities in the results of NET were observed. In few cases the NET certificates bear the percentile of the successful candidates, in few other cases the certificates mentioned percentage or score of the candidates and in other cases it just wrote 'NET-LS qualified'. Therefore, it is not

possible to prepare a merit list on the basis of NET certificates. However, USET certificates wrote score and percentage of qualified candidates. As it not possible to prepare a merit list on the basis of NET certificates, the committee unanimously agreed to prepare a merit list on the basis of marks obtained (percentage) at PG course by the applicants.

5. The list of selected candidates would be provided to the Higher Education.
6. After final selection and approval from the Higher Education, Government of Uttarakhand the list of selected candidates would be send to the respective candidates, colleges, campuses etc.
7. Selected candidates would be issued a notice to submit voucher of fellowship duly approved/forwarded by Guide/Head of Department/Principal so that they could produce their claim/voucher, as soon as university get consolidated funds. Fellowship will be provided directly to the candidates, preferably through online mode.

 Director
Research and Development Cell
Kumaun University, Nainital
Kumaun University, Nainital